तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
22/5/18	[illegible handwritten order]	

अध्यक्ष
लोक अदालत भादरा
कैम्प [illegible]

सदस्य
लोक अदालत
भादरा

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 20/18

अनवान :

1. रामप्रताप
2. रामकुमार
3. भालसिंह

} पुत्रान फुलाराम जाति चमार निवासी 9 एमएसआर तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. फुलाराम पुत्र हरचन्द जाति चमार निवासी 9 एमएसआर सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
2. शान्ति देवी पत्नी फुलाराम जाति चमार निवासी 9 एमएसआर सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
3. कृष्णा पुत्री फुलाराम पुत्र हरचन्द जाति चमार निवासी 9 एमएसआर सरदारगढ़िया तहसील भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प सरदारगढ़िया में वकीलवादी श्री किशनलाल यादव की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 9 एमएसआर के खाता संख्या 37/34 के मु0न0 54 के किला न0 16, 25 व मु0न0 55 के किला न0 18 ता 23, मु0न0 58 के किला न0 1, 2, 9, 10 मु0न0 59 के किला न0 4 ता 7, मु0न0 60 के किला न0 8, 9, 12, 13, कुल 5.060 है0 नहरी मय रास्ता खाला भूमि में प्रतिवादी फुलाराम का नाम कलमजन कर वादीगण 1 ता 3 बहिब 1/3—1/3 हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। मु0न0 59 के किला न0 13 ता 16 कुल 1.012 है0 नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है, अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़